बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

प्रेषक, पत्रांक–पि०व०/बजट–30–02/2015 (खण्ड–II)– 93. पटना, दिनांक– 18/11/2025.

अनिल कुमार ठाकुर,
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभागान्तर्गत सचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के संधारणार्थ स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत प्रशिक्षण व्यय मद में कुल राशि रू० 34,74,000/– (रू० चौंतीस लाख चौहत्तर हजार) मात्र का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभागान्तर्गत सचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के संधारणार्थ स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत प्रशिक्षण व्यय मद में कुल राशि रू० 34,74,000/– (रू० चौंतीस लाख चौहत्तर हजार) मात्र आवंटित की जाती है।

2–उक्त संपूर्ण आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत बजट शीर्ष माँग संख्या –11 मुख्य शीर्ष 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष 03– पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष 277–शिक्षा, उप शीर्ष 0010–पिछड़ी जातियों के लिए 12 (बारह) कन्या आवासीय उच्च विद्यालयों का संधारण, विषय शीर्ष 20.03 प्रशिक्षण व्यय इकाई, विपत्र कोड संख्या–11-2225–03–277–0010 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

3–इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना होंगे।

4–उक्त राशि का भुगतान Bihar Institute of Public Administration & Rural Development के नाम से Bandhan Bank, Swarajpuri Road Branch, Gaya में संचालित Saving Account Number (बचत खाता संख्या) – **50220029265768**, IFSC Code – **BDBL0001543** में किया जाएगा।

5– राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों एवं विभागीय परिपत्रों में निहित निदेशों/प्रावधान के आलोक में करेंगे।

6–प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

7–प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

8– सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि के आवंटन की सूचना दी जा रही है।

9– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन

18/11/25

(अनिल कुमार ठाकुर),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– पि०व०/बजट–30–02/2015 (खण्ड–II)– 93 पटना, दिनांक– 18/11/2025

प्रतिलिपिः–(1) महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/विभागीय लेखा शाखा (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) वरीय सहायक निदेशक, बिपार्ड, गया जी , बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(5) आई0टी0मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18/11/25

सरकार के अपर सचिव।

.../allotment excel and budget fort /Sanction & Allotment

Scanned with OKEN Scanner